भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 809
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति

809. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि :

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :

डॉ. रानी श्रीकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और देश के अन्य उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ; और

(घ) सरकार उक्त प्रयास में कितनी सफल रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत के मुख्य न्यायामूर्ति और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों का विवरण **उपाबंध-1** में है और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का विवरण **उपाबंध-2** में है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं । इसलिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार डेटा केंद्रीय रूप से बनाए नहीं रखा जाता है ।

हालांकि, 2018 से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए, 2018 से उस सीमा तक नियुक्त व्यक्तियों का डेटा उपलब्ध है। वर्ष 2018

से नियुक्त 661 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से 21 अनुसूचित जाति वर्ग से, 12 अनुसूचित जनजाति वर्ग से, 78 अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग से तथा 499 सामान्य वर्ग से (22.07.2024 तक) हैं।

सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए, ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके।

****

उपाबंध-1

भारत के मुख्य न्यायामूर्ति और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों के ब्यौरे (22.07.2024 को)

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मुख्य न्यायमूर्ति का नाम (सर्व/श्री न्यायाधीश)
1	उच्चतम न्यायालय (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति)	डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़
2	इलाहाबाद	अरुण भंसाली
3	आंध्र प्रदेश	धीरज सिंह ठाकुर
4	बॉम्बे	देवेन्द्र कुमार उपाध्याय
5	कलकत्ता	टी.एस. शिवगणनम
6	छत्तीसगढ़	रमेश सिन्हा
7	दिल्ली*	मनमोहन
8	गौहाटी	विजय बिश्नोई
9	गुजरात	श्रीमती. सुनीता अग्रवाल
10	हिमाचल प्रदेश	एम.एस.श्री रामचन्द्र राव
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख*	ताशी रबस्तान
12	झारखंड*	सुजीत नारायण प्रसाद
13	कर्नाटक	निलय विपिनचंद्र अंजारिया
14	केरल*	मुहम्मद मुस्ताक अयुमंतकथ
15	मध्य प्रदेश*	संजीव सचदेवा
16	मद्रास*	डी. कृष्णकुमार
17	मणिपुर	सिद्धार्थ मृदुल
18	मेघालय	एस. वैद्यनाथन
19	उड़ीसा	चक्रधारी शरण सिंह
20	पटना	कृष्णन विनोद चंद्रन
21	पंजाब और हरियाणा	शील नागू
22	राजस्थान	मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
23	सिक्किम	बिस्वनाथ सोमादेर
24	तेलंगाना	आलोक अराधे
25	त्रिपुरा	अपरेश कुमार सिंह
26	उत्तराखंड	कुमारी ऋतु बाहरी

* कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति

उपाबंध-2

भारत के उच्चतम न्यायालय (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित) तथा उच्च न्यायालयों (उच्च न्यायमूर्तियों सहित) में न्यायमूर्तियों की कुल संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियों को दर्शित करने वाला विवरण ।(22.07.2024 तक)

		स्वीकृत संख्या			कार्यरत संख्या			रिक्तियां		
क.	उच्चतम न्यायालय	34			34			0		
ख.	उच्च न्यायालय	स्थायी	अति.	कुल	स्थायी	अति.	कुल	स्थायी	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	75	9	84	44	32	76
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	22	6	28	6	3	9
3	बॉम्बे	71	23	94	56	10	66	15	13	28
4	कलकत्ता	54	18	72	34	10	44	20	8	28
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	10	5	15	7	0	7
6	दिल्ली	45	15	60	34	5	39	11	10	21
7	गौहाटी	22	8	30	19	5	24	3	3	6
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	12	3	15	1	1	2
11	झारखंड	20	5	25	18	0	18	2	5	7
12	कर्नाटक	47	15	62	43	7	50	4	8	12
13	केरल	35	12	47	29	10	39	6	2	8
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	36	0	36	4	13	17
15	मद्रास	56	19	75	50	13	63	6	6	12
16	मणिपुर	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	मेघालय	3	1	4	3	1	4	0	0	0
18	उड़ीसा	24	9	33	20	0	20	4	9	13
19	पटना	40	13	53	34	0	34	6	13	19
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	51	4	55	13	17	30
21	राजस्थान	38	12	50	33	0	33	5	12	17
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	25	3	28	7	7	14
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	7	0	7	2	2	4
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**663**	**92**	**755**	**177**	**182**	**359**

****